न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक), जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
210/2025	16/07/2025	18.11.2025

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री नाथू लाल जाति- स्वामी निवासी ग्राम-लाडीपुरा ग्राम पचायत जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान
2. प्रमानन्द पुत्र चौथ मल
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र ग्यारसीलाल जातियान स्वामी निवासी लाडीपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रूपनारायण :– वकील वादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय:–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल बैरवा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादी की सहखातेदारी भूमि की खातेदारी भूमि खाता नम्बर 41 खसरा नम्बर 287/39 रकबा 1.0000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 290/39 रकबा 0.2200 हैक्टेयर ख0न0 38 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकवा 1.2300 हैक्टेयर ग्राम लाडीपुरा पटवार हल्का जयचन्दपुरा तहसील जमव रामगढ जिला जयपुर राजस्थान। मे वादी का राजस्व रिकॉड अनुसार हिस्सा दर्ज स्थित है। जो कि वादी की पैतृक सह खातेदारी भूमि है जिसमे वादी सह खातेदार है। उक्त खातेदारी भूमि वादी की सहखातेदारी की भूमि है। तथा उक्त भुमि मे वादी का नाम जगदीश नारायण पुत्र नाथू लाल जाति-स्वामी के नाम से हिस्से की भुमि में दर्ज है जो कि मेरे माता पिता के अनपढ होने के नाते मेरे नाम जगदीश प्रसाद के स्थान पर जगदीश नारायण के नाम मे त्रुटि दर्ज हो गई है मेरा नाम जगदीश प्रसाद दर्ज स्थित है तथा मेरे समस्त दस्तावेज में जगदीश प्रसाद पुत्र नाथू लाल दर्ज है तथा जो कि मुझ वादी का वास्तविक नाग जगदीश प्रसाद वादी को होंने पर नाम दर्ज की जानकारी पुत्र नाथू लाल है। तथा उक्त तथा गलत नाम दर्ज की जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा अपने नाम के त्रुटि अपने जन आधारा कार्ड में जमावन्दी अनुसार करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त नाम को सही करवाना है। प्रार्थी द्वारा उक्त नाम के लिये श्रीमान तहसीलदार महोदय को उक्त नाम को दुरस्त करने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे श्रीमान तहसीलदार महोदय ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़. जिला जयपुर के समक्ष वाद दायर करने की बात कही तथा कानूनी सलाह लेकर नाम दुरूस्त कर सही नाम दर्ज करवाने हेतू श्रीमान के समक्ष यह वाद पत्र पेश करवाना आवश्यक हुआ है। अब वर्तमान राजस्व रिकॉड वादी के नाम से दर्ज रिकॉड है। जिसमे वादी का नाम जगदीश नारायण पुत्र नाथू लाल है जब कि वादी का वास्तविक नाम जगदीश प्रसाद पुत्र नाथू लाल है। तथा * उक्त गलत नाम राजस्व कर्मचारियो के द्वारा सहवन से गलत दर्ज कर दिया है तथा वादी के नाम से जो कि एक लिपिकिय मुल है। जिसे दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है। उक्त भूमि में वादी का नाम जगदीश नारायण पुत्र नाथू लाल दर्ज रिकॉड है जव कि वादी का वास्तविक नाम जगदीश प्रसाद पुत्र नाथू लाल है तथा वादी के सरकारी दस्तावेजो जैसे राशन कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि मेरे वास्तविक नाम जगदीश प्रसाद पुत्र नाथू लाल के नाम से ही बने हुये है जो सही है। जो कि जगदीश प्रसाद पुत्र नाथू लाल दर्ज करवाने हेतू यह वाद पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त खसरा नम्वर मे वादी के

Scanned with OKEN Scanner

नाम जगदीश नारायण पुत्र नाथू लाल के बजाय जगदीश प्रसाद पुत्र नाथू लाल करवाने हेतू यह वाद पेश किया गया है। दिनांक 06/07/2025 को वादी अपने राजस्व रिकॉड की नकले प्राप्त करने हुतू यह प्रार्थना पत्र पेश किया और नकल प्राप्त करने के बाद वादी को ज्ञात हुआ कि वादी का नाम तथा ग्राम के नाम राजस्व रिकॉड में गलत दर्ज चला आ रहा है जिसके बाद से वाद निरन्तर वाद कारण जारी है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नाधिन भुमि खाता नम्बर 41 खसरा नम्बर 287/39 रकबा 1.0000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 290/39 रकबा 0 2200 हैक्टेयर ख0न0 38 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.2300 हैक्टेयर ग्राम- लाडीपुरा पटवार हल्का जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित भुमि के राजस्व रिकॉड में दुरूस्त कर वादी का नाम जगदीश नारायण पुत्र नाथू लाल के बजाय जगदीश प्रसाद पुत्र नाथू लाल घोषित करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा उपस्थित होकर वाद सहमति में जाहिर कि। प्रतिवादी सं. 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/भू0अ0/2025/9093 दिनांक 18.11.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश की। जो पत्रावली में शामिल है। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने रिपोर्ट में रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम लाडीपुरा के खाता संख्या 41 खसरा नम्बर 287/39, 290/39, 38 किता 3 रकबा 0.2300 हैक्टेयर में खातेदार जगदीश नारायण पुत्र नाथूलाल हिस्सा 1/3 जाति स्वामी सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर पूछताछ एवं प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों में जगदीश प्रसाद पुत्र नाथूलाल है। अतः मौके पर जांच एवं दस्तावेजो के आधार पर जगदीश नारायण पुत्र नाथूलाल व जगदीश प्रसाद पुत्र नाथूलाल एक ही व्यक्ति है। वकिल वादी की प्रकरण में बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया।

वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध वादी का वाद पत्र, प्रतिवादी सं. 2 व 3 की सहमति एवं तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि भूमि खाता संख्या 41 के खसरा नम्बर 287/39 रकबा 1.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 290/39 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ग्राम लाडीपुरा पटवार हल्का जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है में वादी का नाम जगदीश नारायण पुत्र नाथूलाल को दुरूस्त कर जगदीश नारायण उर्फ जगदीश प्रसाद पुत्र नाथूलाल अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। खातेदारों का हिस्से पूर्वानुसार रहेगा। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 18.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक), जमवारामगढ़, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
210/2025	16/07/2025	18.11.2025

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री नाथू लाल जाति- स्वामी निवासी ग्राम-लाडीपुरा ग्राम पचायत जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान
2. प्रमानन्द पुत्र चौथ मल
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र ग्यारसीलाल जातियान स्वामी निवासी लाडीपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री रूपनारायण गुर्जर :– वकील वादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

निर्णय डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री राजेश मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री रूपनारायण गुर्जर एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि भूमि खाता संख्या 41 के खसरा नम्बर 287/39 रकबा 1.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 290/39 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ग्राम लाडीपुरा पटवार हल्का जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है में वादी का नाम जगदीश नारायण पुत्र नाथूलाल को दुरूस्त कर जगदीश नारायण उर्फ जगदीश प्रसाद पुत्र नाथूलाल अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। खातेदारों का हिस्से पूर्वानुसार रहेगा। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 18.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner